

प्रेषक,

शैलेन्द्र सिंह,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /  
विशेष न्यायालय, भ्र0नि0अधि0,  
(यू0पी0एस0ई0बी0) वाराणसी।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
वाराणसी।

**विषय—**शासनादेश सं0-14 / 2024 / Sa-3-243 / X-2024 / 301(1)2024 दिनांक 28  
जून 2024 सहपठित G.O. No. 20/2024 Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024  
Dated 11-07-2024 of the Government of Uttar Pradesh के कम में पुरानी  
पेंशन के विकल्प पत्र के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कर्मियों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञप्ति सं0 ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर, 2003 के अंतर्गत हुयी है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र सं0 9283/VII-b-104/Admin D सेक्शन दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र सं0 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin (A) Dated July 16, 2024 को भी उक्त प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को एवं संबंधित अधिकारी के ई-सर्विसेज पर उपलब्ध ई-पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी समय से प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा वर्ष 2003 बैच का न्यायिक अधिकारी है। अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं0- ए-2-ई-1/2003 दिनांकित 15.11.2003 में उल्लिखित रिक्तियों के सापेक्ष हुयी है। अधोहस्ताक्षरी की पेंशन कटौती अधोहस्ताक्षरी के सेवाग्रहण करने की तिथि से अभी तक नवीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन कटौती (PRAN ID) सं0-110041989427 पर की जा रही है। अतः अधोहस्ताक्षरी उत्तर प्रदेश राज्य के उपरोक्त

*[Handwritten Signature]*


शासनादेश के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना/आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा इस अनुरोध पत्र के साथ विकल्प पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

दिनांक- 17.08.2024

भवदीय,



(शैलेन्द्र सिंह)


न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अ0,  
(यू0पी0एस0ई0बी0) वाराणसी।

शासनादेश सं०-20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)/2024 दिनांक- 11 जुलाई, 2024 का  
संलग्नक-

### विकल्प पत्र

1. नाम- शैलेन्द्र सिंह (आई०डी०-यूपी 6473)
2. वर्तमान पदनाम- विशेष न्यायाधीश भ०नि०अधि० (यू०पी०एस०ई०बी०), वाराणसी।
3. वेतनमान- 163030 पे-स्केल- जे 5 (144840-194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग (माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीन)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग-4), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. विज्ञप्ति की तिथि- दिनांकित 15 नवम्बर, 2003(विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006(सं०-2430/दो-4-06-32 (1)/2001 टी०सी०-1)
8. योगदान की तिथि- 16.06.2006
9. जन्म तिथि- 15.04.1969
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 30.04.2029

मैं शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री धारासिंह, शासनादेश सं०-14/2020/Sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

  
हस्ताक्षर

नाम- शैलेन्द्र सिंह (आई०डी०-यूपी 6473)  
पदनाम- विशेष न्यायाधीश भ०नि०अधि०  
(यू०पी०एस०ई०बी०), जिला वाराणसी।

### घोषणा पत्र

मैं शैलेन्द्र सिंह (आई०डी०-यूपी 6473) पदनाम विशेष न्यायाधीश भ०नि०अधि० (यू०पी०एस०ई०बी०), जिला वाराणसी यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम सं०-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

  
हस्ताक्षर

नाम- शैलेन्द्र सिंह (आई०डी०-यूपी 6473)  
पदनाम- विशेष न्यायाधीश भ०नि०अधि०  
(यू०पी०एस०ई०बी०), जिला वाराणसी।

### संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री शैलेन्द्र सिंह (आई०डी०-यूपी 6473) पदनाम विशेष न्यायाधीश भ०नि०अधि० (यू०पी०एस०ई०बी०), जिला वाराणसी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/ नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति